न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/8	14.02.2024	136 LR Act	11.06.2024

बउनवान

1:– घनश्याम पुत्र कैलाश मीना
2:– हैप्पीदेवी बेवा कैलाश चन्द मीना
3:– निर्मला पुत्र कैलाश मीना निवासीयान पलवा हाउस अखैपुरा अलवर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133, 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133, 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान उप जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 21–11–1992 को कैलाश मीना पुत्र प्रभातीराम मीना निवासी अखैपुरा अलवर को ग्राम केशरपुर तहसील अलवर में आराजी खसरा नम्बर 452 में रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। जिसका इन्तकाल दर्ज होकर जमाबंदी में इन्द्राज किया जा चुका है। आवंटी कैलाश मीना का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान विधिवत राजस्व रिकार्ड में विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। जिनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

यह कि सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बंदोवस्त सम्वत् 2051–2070 में बनायी गई मिसल हकीयत में हम प्रार्थीगण की अलॉटशुदा खातेदारी की आराजी का खाता अलग से कायम नहीं किया गया नाही नम्बर कायम किया मात्र खाता संख्या 21 में केवल बतोर अलॉटी 5 बीघा दर्ज कर दिया। इस बाबत हम प्रार्थीगण द्वारा एक दावा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया व नक्शा भी दुरूस्त किये जाने बाबत डिक्री चाही जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 07–01–2022 को निर्णय पारित कर आदेश प्रदान कर लैण्ड ऑफिसर (एस डी ओ) को निर्देशित किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

आवंटी प्रार्थीगण को साबिक खसरा नम्बर 452 में 5 बीघा तत्कालीन नक्शा ट्रेस के अनुसार व मौके अनुसार हाल जमाबंदी (तत्कालीन) सम्वत् 2070–74 वको ग्राम केसरपुर के खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 382 रकबा 13.51 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण का अलग से खसरा नम्बर कायम करते हुए नक्शा ट्रेस उसी प्रकार कायम करें।

उक्त आदेश की इजराय पेश कर तहसीलदार अलवर को पालना हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा भेजी गई तो तहसीलदार अलवर द्वारा अवगत कराया कि वक्त अलॉटमेन्ट यानी दिनांक 21–11–1992 जो सेटिलमेन्ट से पहले खसरा नम्बर 452 मिन में से 5 बीघा आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बंदोवस्त के दौरान प्रार्थीगण की आराजी को नक्शा मौका अनुसार काबिज आज तक चले आ रहे है। उसे हाल जमाबंदी में खसरा नम्बर 701 जिसका खातेदार काश्तकार मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म दर्ज कर दिया। जबकि हाल खसरा नम्बर 701 रकबा 2.31 हैक्टेयर को राजस्व रिकार्ड में अंकन खाता संख्या 202 कुल किता 38 रकबा 13.51 हेक्टेयर वाके ग्राम केसरपुर में होना चाहिए तथा खसरा नम्बर 701 मत्स्य विभाग फीशरिंग रिफार्म का आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 2.79 हैक्टेयर होना चाहिए।

हाल खसरा नम्बर 692 रकबा 2.79 हैक्टेयर हाल जमाबंदी खाता संख्या 202 में हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया लेकिन मौका हाल नक्शा अनुसार 2.31 हेक्टेयर पर मत्स्य विभगा फिशरिंग रिफार्म काबिज है।

यह कि हाल खसरा नम्बर 701 जो वर्तमान में मत्स्य फिशरिंग रिफार्म के नाम दर्ज है लेकिन हाल नक्शा के अनुसार हम प्रार्थीगण अलॉटमेन्ट के समय से ही काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर आराजी भी जमाबंदी में दर्ज अनुसार नहीं है। बल्कि प्रार्थीगण को अलॉट आरजीनुसार है यह कि खसरा नम्बर 701 व 692 दोनो के साबिक खसरा नम्बर पुराने 452 है सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 452 मिन में से प्रार्थीगण को व अन्य को आराजी अलॉट की गई थी जिसके तरमीम नम्बर 452/4, 452/5, 452/6, 452/9, 452/10 बनाये गये को इन्ही नम्बरो में से हाल खसरा नम्बर 701 बना है ये सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट गलत इन्द्राज कर के मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म दर्ज कर दिया जबकि होना हम प्रार्थीगण के नाम चाहिए था।

यह कि सेटिलमेन्ट के दौरान सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा हाल नक्शा व जमाबंदी में सम्वत् 2020 के आंवटन तरमीम कब्जा अनुसार नहीं करके अब हाल खसरा नम्बर 692 के स्थान पर 701 कर दिया व 701 के स्थान पर 692 कर विपरीत मौका व कब्जा कर दिया। जबकि मौके पर हम प्रार्थीगण अलॉटमेन्ट वाले स्थान पर आज भी काबिज है तथा मत्स्य विभाग फिशरिंग उसके अलॉटमेन्ट के स्थान पर काबिज है। मात्र खसरा नम्बर बदलने के कारण माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 07–01–2022 की पालना होने से तकनीकी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

परेशानी आ रही है जिसे श्रीमान अन्तर्गत धारा 133, 136 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार दुरूस्त कर सकते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

यह कि दौराने सेटलमेन्ट कोई लिपिकीय अंकन खसरा नम्बर 692 के स्थान पर 701 व 701 के स्थान पर 692 लिखने बाबत भूल के श्रीमान उक्त प्रार्थना में दुरूस्त कर सकते है, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आता है अतः श्रीमानजी से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 2.79 हैक्टेयर वाके ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर जो कि हम प्रार्थीगण हैप्पी, घनश्याम व निर्मला के नाम दर्ज है उसे आवंटन के वक्त से कब्जा अनुसार मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म के नाम व हाल खसरा नम्बर 701 रकबा 2.31 हेक्टेयर जिसके अभी खातेदार मत्स्य विभाग फिशरिंग दर्ज है उसे हम प्रार्थीगण के नाम खातेदार दर्ज कराने व प्रार्थीगण का नाम किता 38 रकबा 13.57 हेक्टेयर में चल रहा है उसे मत्स्य विभाग फिशरिंग रिफार्म के नाम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार नक्शे में दर्शाने के आदेश प्रदान किये जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के पत्रांक भू०अ०/24/3152 दिनांक 23–04–24 द्वारा अनुसार घनश्याम बनाम सरकार प्रकरण आराजी वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर के वर्तमान में बिंदुवार रिपोर्ट चाही गई थी जांच अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

1:–हाल खसरा नंबर 692 प्रार्थीगण घनश्याम पुत्र कैलाश हैप्पी देवी पत्नी कैलाश निर्मला पुत्री कैलाश मीणा सा. मोहल्ला अखैपुरा अलवर हिस्सा 21/220 किता 38 रकबा 13.51 है० में से अर्थात 5 बीघा अलोटी खातेदार दर्ज तथा खसरा नंबर 701 रकबा 2.31 है० मत्स्य विभाग फिसरलिंग रिपेयरिंग फॉर्म के नाम पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकार्ड है दोनों खसरो का साबिक खसरा नंबर खसरा नंबर 452 है प्रार्थीगण के पिता कैलाशचन्द मीना पुत्र प्रभाती राम मीना को दिनांक 12–1–1993 को सिवायचक भूमि का आवंटन आदेश हुआ जिसमें नामां संख्या 10 आवंटन दर्ज होकर साबिक खसरा नंबर 452 मिन रकबा 5 बीघा अलॉटमेंट हुआ मौके पर सम्वत् 1957 नक्शा लठ्ठा में तरमीम की गई तथा प्रार्थीगण के पिता को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया।

2:–साबिक खसरा नंबर 452 का हाल खसरा नंबर 701 बना जिसमें हाल रिकॉर्ड में जमाबंदी हाल नक्शा मौका एवं आवंटन नक्शा की आकृति अनुसार ख. न.701 रकबा 5 बीघा भूमि में वक्त आवंटन के समय से ही अलोटी आज दिनांक तक इस मौके पर काबिज है जबकि हाल आराजी खसरा नंबर 701 आवंटी के वारिसान प्रार्थी गण खातेदारों के नाम हाल जमाबंदी में अंकन नहीं है अपितु मत्स्य विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया मुताबिक आवंटन कब्जा तथा नक्शा सम्वत 2020 वह हाल नक्शा अनुसार जमाबंदी में अंकन सही नहीं होने के कारण नक्शा रकबा मौका व जमाबंदी में दर्ज खसरा नंबर में भिन्नता के कारण प्रकरण दुरुस्ती का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बनता है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आपके कार्यालय से शुध्द किया जाना संभव है।

3:–हाल खसरा नंबर 701 रकबा 2. 31 हेक्टेयर जो कि वर्तमान में मत्स्य विभाग के नाम दर्ज है जमाबंदी खाता नंबर 232 के अनुसार लेकिन मौका व साबिक नक्शा अनुसार उक्त आराजी में प्रार्थीगण घनश्यामदास हैप्पी वगैरा व अन्य आवंटी खातेदारान काबिज है तथा नक्शा आकृति भी लगभग 2.79 हेक्टेयर जबकि जमाबंदी अंकन 2.31 है0 है।

4:–हाल खसरा नंबर 692 रकबा 2.79 जो कि हाल रिकॉर्ड जमाबंदी खाता नंबर 202 में घनश्याम हैप्पी वगैरा सम्मिलित आवंटीत खातेदारान के नाम दर्ज है लेकिन मौका व साबिक नक्शा अनुसार उक्त नक्शा ट्रेस आकृति अनुसार 2.31 हेक्टेयर पर मत्स्य विभाग दर्ज रिकार्ड अनुसार काबिज है।

5:–आराजी ख.न., 701, 692, दोनों ही साबिक ख.न. 452 से ही बने है।

6:–नक्सा सम्वत 2020 में तरमीम साबिक ख.नं. 451 के पास लगता हुआ खसरा नम्बर 452 में से 452/1 की तरमीम आंवटन किया गया अक्त स्थान पर हाल जमाबंदी ख.न. 692 नक्शा हाल अनुसार आकृति 2.31 है0 पर वरवक्त आवंटन तरमीम कब्जा अनुसार आज भी मत्स्य विभाग फिसरलींग रिपेयरिंग फार्म के नाम होना चाहिए लेकिन आराजी ख.न. 692 रकबा 2.79 है0 हैप्पी वगै. आवंटी शामिल खातेदार के नाम जमाबंदी खाता न. 202 के अनुसार दर्ज है।

7:–सम्वत 2020 ख.न. 452 मे से ही तरमीम 452/4, 452/5, 452/6, 452/9, 452/10 की गई थी जिसमें हाल ख.न. 701 बना है जिस पर वक्त आवंटन तरमीम से ही आवंटी खातेदारान तथा हैप्पी बगै काबिज है आराजी ख.न. 701 रकबा 2.31 है. हाल जमाबंदी के खाता न: 232 मैं मत्स्य विभाग फिसरनींग रिपेयरिंग फार्म के नाम होना चाहिए, जबकि हाल नक्शा आकृति अनुसार रकबा लगभग 2.79 हैं. है जिस पर मौके पर साबिक नक्सा अनुसार घनश्याम पुत्र कैलाश हैप्पी देवी पत्नी कैलाश निर्मला पुत्री कैलाश मीणा सा. मोहल्ला अखैपुरा अलवर आवंटी खातेदारान व अन्य जावंटी खातेदार काबिज है।

8:–वरवक्त सैटलमैन्ट के दौरान हाल नक्शा जमाबंदी में अंकन सम्वत 2020 के आवंटन तरमीम कब्जा अनुसार नहीं किया जाकर अपितु हाल ख.न. 692 के स्थान पर ख.न. 701 तथा 701 के स्थान पर 692 विपरीत दर्ज कर दिये जाने से हाल जमाबंदी खातो में अंकन आवंटन तरमीम नक्शा अनुसार भिन्नता है।

9:–हाल नक्शा ट्रेस की आकृति ख.न. 692 रकबा 2.31 है0 है लेकिन जमाबंदी में रकबा 2.79 है0 है।

10:–वरवक्त सैटलमैन्ट के लिपिकीय अंकन मूल गलती सुधार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का प्रकरण बनता है जो आपके कार्यालय से निस्तारण किया जाना सम्भव है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

11:–वरवक्त सेटलमेंट के लिपिकीय अंकन भूल गलती सुधार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अनुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय के क्षेत्र अधिकार में है।

अतः मुताबिक रिपोर्ट एवं सिवाय चक भूमि का आवंटन जारी नामा. संख्या 10 आवंटन संवत 1957 नक्शा लट्ठा में तरमीम के अनुसार आराजी खसरा नंबर 692 रकबा 2.79 है. प्रार्थीगण घनश्याम पुत्र कैलाश हैप्पी देवी पत्नी कैलाश निर्मला पुत्री कैलाश मीणा सा. मोहल्ला अखैपुरा अलवर हिस्सा 21/220 किला 38 रकबा 13.51 है. में से अर्थात 5 बीघा अलोटी खातेदार दर्ज अन्य आवंटी खातेदारों के नाम शामिल खाता में दर्ज है उसे आवंटन वरवक्त कब्जा अनुसार मत्स्य विभाग फिशरिंग रिपेयरिंग फार्म के नाम नक्शा अनुसार रकबा 2. 31 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 701 रकबा 2.31 जो कि मत्स्य विभाग फिशरिंग रिपेयरिंग फॉर्म के नाम दर्ज है अंकन मौका दुरुस्ती नक्शा अनुसार रकबा 2.79 हेक्टर प्रार्थीगण घनश्याम पुत्र कैलाश हैप्पी देवी पत्नी कैलाश निर्मला पुत्री कैलाश मीणा सां. मोहल्ला अखैपुरा अलवर हिस्सा 21/220 किता 38 रकबा 13.51 है. में से अर्थात 5 बीघा अलोटी खातेदार दर्ज अन्य आवंटी खातेदारों के नाम दर्ज अंकन दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से पुनः रिपोर्ट भी प्राप्त की गई जिसके पत्रांक भू0अ0/2024/3756 दिनॉक 21–5–2024 द्वारा समस्त 1लगायत 11 के बिन्दुओ को दोहराते हुये निवेदन किया है कि उक्त निर्णय इजराय डिग्री की पालना के क्रम में निवेदन हे कि हाल जमाबन्दी में दर्ज ख.न. 701 रकबा 2.31 तथा ख.न. 692 रकबा 2.79 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का केसरपुर तथा जांच भू अभिलेख निरीक्षक भूगोर एवं सिवाय चक भूमि का आवंटन जारी नामान्तकरण संख्या 10 आवंटन संवत 1957 नक्शा लट्ठा में तरमीम के उसे आवंटन वरवक्त कब्जा अंकन मौका दुरुस्ती नक्शा अनुसार आराजी खसरा नंबर 692 रकबा 2. 31 हे. मत्स्य विभाग फिशरिंग रिपेयरिंग फॉर्म के नाम दर्ज तथा ख.न. 701 रकबा 2.79 है. प्रार्थीगण घनश्याम पुत्र कैलाश हैप्पी देवी पत्नी कैलाश निर्मला पुत्री कैलाश मीणा सा. मोहल्ला अखैपुरा अलवर हिस्सा 21/220 अजयकुमार पुत्र किशनलाल हि. 7/440 जाति खटीक नि. नोगावा तह. रामगढ़ अनूपसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 113/1320 जाति चमार सा.ग्राम महताब बास तह. नीमराणा जिला अलवर अनिलकुमार पुत्र रामकिशन हि. 7/330 जाति जाटव सा. देह कमला पत्नी रामजीलाल हि.1/330 जाति गुजर सा. देह केवलराम पुत्र रामचन्दर हि. 37/1320 जाति जाटव सा. देह गजना झुमा फूलवती बादामी पुत्रीयान सगरू स.भा. हि. 188/4620 पांची पत्नी सगरू हि. 47/4620 रामभरोसी हरिराम पुत्रान सगरू स.भा. हि 94/4620 जाति चमार सा. देह गुड्डीदेवी लीलादेवी पुत्रीयान रामजीलाल स.भा.हि. 2/330 रमेशचन्द सुभाषसिंह हीरालाल पुत्रान रामजीलाल हि. 3/330 जाति गुर्जर पूरणमल पुत्र छुट्टनलाल हि. 5/66 जाति कोली सा.घाट तह. लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर बतो पत्नी दुलीचन्द हि. 5/264 जाति चमार सा. पलखड़ी तह. अलवर भरतलाल पुत्र सीताराम हि. 1/40 जाति माली सा.डेरा तह. राजगढ़ भोती पत्नी स्व. छोटा हि. 5/88 जाति जाटव मुकेश मनोहर

उपखण्ड अधि
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

सुरेशकुमार पुत्रान रामकिशन हि. 21/330 जाति जाटव सा. देह मीरा पत्नी नन्दराम हि. 5/88 जाति जाटव सा. खरखडी चावंडसिंह तह. रेणी रतनलाल पुत्र मनफूल हि. 5/264 जाति गुर्जर सा.देह राजकुमार बेरवा पुत्र धर्मपाल हि. 5/88 जाति बेरवा सा.ग्राम पोस्ट जामडोली तह.रेणी राजबाला पत्नी बिजेन्द्र हि. 17/1320 जाति माली सा. डेरा तह. राजगढ़ रामकला पत्नी रामचन्दर हि. 19/660 जाति चमार सा. देह रामसुखा रामस्वरूप पुत्रान मुकन्दा स.भा.हि. 10/264 जाति जाटव सा. देह ललितकिशोर पुत्र प्रभातीलाल हि. 5/132 जाति जाटव सा.भूगोर तह. व जिला अलवर लीला पुत्र मामराज हि. 25/264 जाति चमार विश्राम पुत्र कन्हैयालाल हि. 7/440 जाति बेरवा सा. बाजोली तह. राजगढ़ श्रीचन्द शिवलाल पुत्रान रामजीवण हि. 14/220 जाति जाटव सा. देह खातेदारान किता 38 रकबा 13.51 है अर्थात ख. न. 701 के स्थान पर ख.न. 692 तथा ख.न. 692 के स्थान पर ख.न. 701 को राजस्व रिकोर्ड में अंकन दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है रिपोर्ट/रिकार्ड अवलोकन उपरान्त भूमीधारी तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि साबिक खसरा नम्बर 452 मि0 (तरमीम 452/1) से बने हाल खसरा नम्बर 692 रकबा 2.79 है0 खातेदारन " हैप्पी देवी पत्नि स्व0 कैलाश, घनश्याम पुत्र कैलाश, निर्मल पुत्री कैलाश मीना" वगेराह के स्थान पर नवीन इन्द्राज खसरा नम्बर 692 रकबा 2.31 है0 'मत्सय विभाग फिसरलिंग रिपेरिंग फार्म के नाम हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे दुरूरूत किया जावे एंव साबिक खसरा नम्बर 452 मि0 (तरमीम 452/5) से बने हाल खसरा नम्बर 701 रकबा 2.31 है0 जो कि हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे " मत्सय विभाग फिसरलिंग रिपोरिंग फार्म" के नाम दर्ज है दुरूस्ती कर खसरा नम्बर 701 रकबा 2.79 है0 आवन्टी खातेदारान " हैप्पी देवी पत्नि स्व0 कैलाश घनश्याम पुत्र कैलाश निर्मल पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

कैलाश मीना" वगैराह एंव शेष खातेदारान के नाम हाल जमाबन्दी के हिस्से अनुसार यथावत दर्ज किया जावे अर्थात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 11.06-2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner